

न्यायालय:- अंचल अधिकारी, गावाँ जिला-गिरिडीह

आदेश फलक

अभिलेख सं०- 12/2020-21

वाद का प्रकार- निबिन्ध वाद

आदेश का क्रम
सं० एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

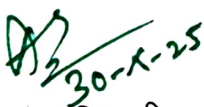
आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

30.10.2025

आवेदक नथु मुसहर ग्राम-चिहुंटिया थाना गावाँ जिला गिरिडीह के निवासी से प्राप्त आवेदन पत्र पर संबंधित राजस्व उप-निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा चिहुंटिया थाना नं०-330 खाता नं०- 34 प्लॉट नं०- 528 रकबा-0.04 एकड़ भूमि पर सीतो महतो पिता- स्व० डीलो महतो एवं उनके पुत्रों के द्वारा इन्दिरा आवास निर्माण में रोक लगाने की बात का उनके आवेदन में जिक्र है किंतु आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई भी पक्ष राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर मूल राजस्व दस्तावेज की मांग की गई किंतु किसी भी पक्ष के द्वारा इस मामले में अभिरुची नहीं लिया जा रहा है। न्यायालय में उपस्थित होकर कोई भी अपना दावा पेश नहीं कर रहे हैं।

अतः ऐसी स्थिति में वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी
गावाँ


अंचल अधिकारी
गावाँ।